परिशिष्ट-अ
प्र. क्र. 2239

[19/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2239]

(11)

अनुसूची-दो

(नियम 6 एवं 7 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	सेवा तथा पदों की संख्या	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशतता		
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/समिति प्रतियोगी द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मध्यप्रदेश राजस्व विभाग	तहसीलदार	474 499	-	-	-
		नायब तहसीलदार	594	60 प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जो कि आयोग द्वारा संचालित की गई है.	25 प्रतिशत राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति द्वारा	क—5 प्रतिशत राजस्व मंडल आयुक्त, भू-अभिलेख एवं, बंदोबस्त आयुक्त, कलक्टर कार्यालय से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा. ख—10 प्रतिशत स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षकों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा.

अनुसूची-तीन

(नियम 11 देखिए)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम तथा पद	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व विभाग	मध्यप्रदेश कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा-नायब तहसीलदार	21	35	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, कृषि, विज्ञान (तकनीकी व इंजीनियरिंग को सम्मिलित करते हुए) उपाधि.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग

Scanned with OKEN Scanner

118

अनुसूची-चार
(नियम 15 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम	पदोन्नति के लिए अनुभव	सेवा या पद का नाम जिसमें पदोन्नति की की जानी है	नियुक्ति प्राधिकारी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व विभाग	नायब तहसीलदार	5 वर्ष	तहसीलदार	शासन	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष. 2. प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग—सदस्य. 3. संभागीय आयुक्त— सदस्य 4. नामनिर्दिष्ट सदस्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न होने पर उसी प्रास्थिति का कोई सदस्य. 5. अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग—सदस्य-सचिव.
2		राजस्व निरीक्षक	5 वर्ष	नायब तहसीलदार	शासन	1. प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग—अध्यक्ष. 2. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश — सदस्य. 3. संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश—सदस्य 4. नामनिर्दिष्ट सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का न होने की दशा में उसी प्रास्थिति का कोई सदस्य. 5. अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग—सदस्य—सचिव.

अनुसूची—पांच

"राजस्व मंडल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, संभागायुक्त तथा कलक्टर कार्यालयों की लिपिकवर्गीय सेवाओं से तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदारों के पदों को भरने की योजना."

1. नाम—इस योजना का नाम "राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, संभागायुक्त तथा कलक्टर कार्यालय की लिपिकवर्गीय सेवाओं से तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदारों के पदों को भरने की योजना" है.

2. पात्रता—राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, संभागायुक्त तथा कलक्टर कार्यालयों की लिपिकवर्गीय सेवाओं तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग के केवल ऐसे सदस्य ही इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात्:—

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग

Scanned with OKEN Scanner